राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

–: प्रेस नोट :–

दिनांक :–11.09.2023

आयोग द्वारा भविष्य में आयोजित की जाने वाली सभी लिखित वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिये जाने के संबंध में अभ्यर्थी से पुष्टि करवाए जाने हेतु ओ.एम. आर. उत्तरपत्रक में पाँचवा विकल्प दिये जाने का निर्णय लिया गया है। अतः आयोग द्वारा लिये गये इस निर्णय के संबंध में जारी विशेष निर्देशों को, वर्ष 2023–24 में जारी किये गये विज्ञापन संख्या 01/2023–24 से 05/2023–24 तक अर्थात कॉलेज शिक्षा विभाग की सहायक आचार्य परीक्षा, कार्मिक (क–4/2) विभाग की राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, विधि एवं विधिक कार्य विभाग की कनिष्ठ विधि अधिकारी परीक्षा, पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग की खोज एवं उत्खनन अधिकारी व संग्रहाध्यक्ष परीक्षा तथा भू जल विभाग की सहायक अंभियन्ता (यांत्रिकी) परीक्षा में लागू किया जायेगा। इस संबंध में शुद्धि पत्र संख्या 05/2023–24 दिनांक 11.09.2023 को जारी कर दिया गया है, जिसका अवलोकन अभ्यर्थी आयोग की वेब–साईट https://rpsc.rajasthan.gov.in पर कर सकते हैं।

(रामनिवास मेहता)
सचिव